न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 136/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/149)

भागाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी महेला तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सांवरमल पुत्र बृजलाल जाट निवासी दानियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. बुधराम पुत्र दौलतराम जाट निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू–धारी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2

निर्णय **दिनांकः 19.01.2026**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 11.08.2025 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के मुकदमा संख्या 60/2025 अनवान सांवर मल वगैरह बनाम स्टेट के निर्णय दिनांक 11.08.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 11.08.2025 को खारिज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने दिनांक 25.07.2025 को अपनी कृषि भूमि चक रोही मौजा लूणासर के खाता नं. 314/33 के खसरा नं. 534/271 की 2.1760 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 538/373 की 0.7590 हैक्टेयर कुल 2.9350 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। दिनांक 08.08.2025 को मिसल बहस हेतु 11.08.2025 पेशी रखी गई और आराजी जैर अपील के खेत पड़ौसियो को बिना नोटिस दिये बिना सीमा ज्ञान कराये जल्दबाजी में पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात् आगामी तारीख अप्रार्थी तहसीलदार पल्लू को सिर्फ सामान्य एवं रजिस्ट्र्ड नोटिस से तलब करने का आदेश दिया गया है और आगामी पेशी 08.08.2025 रखी गई। तहसीलदार पल्लू के धारा 128 के तहत किसी प्रकार की रिपोर्ट भिजवाने का आदेश नही दिया गया था फिर भी बिना किसी आदेश के तहसीलदार पल्लू ने दिनांक 07.08.2025 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जो मानने योग्य नही होते हुए भी उस पर विश्वास करके अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। तहसीलदार द्वारा आराजी जैर अपील के अड़ौस पड़ौस काश्तकारो को कोई सूचना नही दी गई थी बिना सूचना के जो रिपोर्ट दी है व है वो मानने योग्य नही है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में लिखा है कि काश्तकारो को दूरभाष पर सूचना दी गई थी वो कानून के अनुसार विधिवत् सूचना नही मानी जा सकती। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी साफ लिखा है कि मौके पर पुख्ता निशान नही होने से व पड़ौसी काश्तकारो द्वारा फसल बोई होने के कारण सीमाज्ञान नही किया जा सका। जब सीमा ज्ञान नही किया जा सका तो आराजी जैर अपील पर पत्थरगढी कराने का जो आदेश दिया गया है वह गलत एवं खिलाफ कानून है। अदालत मातहत के समक्ष जब प्रार्थना पत्र पत्थरगढी के लिये दिनांक 25.07.2025 को पेश हुआ था तो अदालत मातहत के उपरोक्त आदेश दिनांक 27.06.2025 के तहत सीमाज्ञान कराने का हवाला निर्णय मे कैसे आ सकता है। इस तथ्य से यह आंशका जाहिर होती है कि अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 अदालत मातहत से मिलीभगत करके आदेश जैर अपील पारित करवाया है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 एव 2 की भूमि चिपती हुई है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 एव 2 पत्थरगढी के आधार पर उसकी भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है। अपीलान्ट हितबद्व पक्षकार है और अपील पेश करने का अधिकारी है। अपील जानकारी से अन्दर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मियाद पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी. सी. एव धारा –मियाद स्वीकार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2025 खारिज फरमाया जावे। अपीलान्ट विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में 2025 (2) RRT 1419 Board Of Revenue For Rajasthan Ajmer का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा सेक्शन 96 सी.पी.सी. एवं दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश करके अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने की अनुमति मांगी गई है। प्रार्थना पत्र सेक्शन 96 सी.पी.सी. व दफा 5 मियाद अधिनियम के निस्तारण से पूर्व अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त होने से पूर्व स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता, प्रक्रिया व प्रावधान के विपरित स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो खारिज किया जावे। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील पेश करने की अनुमति नही दी जा सकती है। अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से एग्रीवड नही है तथा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के विरूद्व नही है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी कृषि भूमि वाके रोही मौजा लूणासर के खाता नं. 314/33 के खसरा नं. 534/271 की 2.1760 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 538/373 की 0.7590 हैक्टेयर कुल 2.9350 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 अपनी जमीन की पत्थरगढी करा रहा है उसमे अपीलान्ट को क्या आपत्ति है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का राईट नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.2025 में अंकित किया है कि संबधित पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर विधिवत पत्थरगढी व पैमाईश करावे पत्थरगढी व पैमाईश की वक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त पत्थर नम्बर/आवेदित रकबा में दर्ज सभी खातेदारो एवं पड़ौसी काश्तकारो को सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी व पैमाईश किया जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। साथ ही अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है, अपीलान्ट का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

शपथ पत्र पेश है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट भागाराम से मिकर व सांवरमल रेस्पोडेन्ट दिनांक 06.11.2025 को अपीलान्ट से मिले ही नही थे। अपीलान्ट ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र में व अपील में झूठा कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट दिनांक 06.11.2025 को उससे मिले थे। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट नं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2010 पृष्ठ 207, RRD 2008 पृष्ठ 587, 2021 (2) RRT 1256, RRD 2011 पृष्ठ 786, RRD 2001 पृष्ठ 47, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी अर्थात अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त है अथवा नहीं? का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 एव 2 की भूमि चिपती हुई है। अपीलान्ट को बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है अतः अपीलांट हितबद्व पक्षकार है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को पक्षकार स्थापित किये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 11.08.2025 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 1 सांवर मल एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 बुधराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पल्लू को आदेश दिये है कि ग्राम लुणासर के खाता सं. 314/33 के ख. नं. 534/271 की 2.176 है. 538/373 की 0.759 है. कुल 2.935 है. भूमि पर संबधित पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर विधिवत पत्थरगढी व पैमाईश करावे पत्थरगढी व पैमाईश की उक्त प्रक्रिया के दौरान उक्त पत्थर नम्बर/आवेदित रकबा मे दर्ज सभी खातेदारो एवं पड़ौसी काश्तकारो को सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी व पैमाईश करने के आदेश दिया गया है, जो सही है। यदि पक्षकारो के मध्य अगर सीमा विवाद है तो वे अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने का कानूनी हक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2025 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2025 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर